Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सोनी खां बनाम श्रीरामनाथ आदि

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा.....126/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री नेतराम सियाग द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा रोही जैतपुर ए तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 2915/765 तादादी 15 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से दर्ज थी। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादगत भूमि को वादी ने अपने भतीजे भंवर खां को काश्त पर दे रखी हैं। वादी ने कभी भी बैनामा नहीं करवाया ना ही बैनामा करवाने के लिए मुख्त्यारनामाआम नियुक्त किया ना ही बादगत भूमि का कब्जा प्रतिवादी को दिया गया । ना ही वादगत भूमि की प्रतिफल राशि वादी ने प्राप्त की वादी वृद्ध एवं अनपढ व्यक्ति हैं। जिसका नाजायज फायदा उठाकर वादी के साथ धोखाधडी की इस कारण उक्त दस्तावेज वादी के अधिकारों के विपरीत होने के कारण प्रतिवादी को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता ना ही वादी के अधिकार समाप्त होते हैं। दिनांक 01.06.2021 को वादी पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का ने बताया आपके नाम की भूमि अन्य के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी हैं। तब वादी प्रतिवादी संख्या 01 से मिला तब प्रतिवादी ने कहा की मैने तो बैनामा करवा लिया हैं। उक्त भूमि पर आपका कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त भूमि मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादगत भूमि को बैचकर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। वादी ने वादगत भूमि को विक्रय करने से मना किया तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने उपरोक्त भूमि विक्रय करने के लिए 5–7 अन्य व्यक्तियों को खेत दिखाने के लिए लाया तो वादी ने वाादगत भूमि को विक्रय करने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 1 वादी से बहुत नाराज हो गया व स्पष्ट धमकी दी कि मौका मिलते ही उपरोक्त वादगत भूमि विक्रय करके वादी को उनके हक अधिकरों से हमेशा के लिए वंचित कर देगा तब वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध वाद कारण हासिल हुआ । प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। हमने प्रस्तुत दस्तावेज व प्रार्थनापत्र के तथ्यों पर गौर किया। एक तरफा बहस व शपथपत्रों पर विश्वास करते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 1 इस अमर की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि मौजा रोही जैतपुर ए तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 2915/765 तादादी 15 बीघा खातेदारी भूमि हस्तांतरण बेचान नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड यथास्थिति (as on Today) बनायें रखें। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि एवं रास्तों के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में कोई आपति अप्रार्थीगण को हो तो वे आगामी तारीख पेशी पर स्वयं या अपने वकील के जरिये उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 28.07.2021 को पेश हो। [signature]	प्रति. नोटिस [illegible] 1712 25-6-21
19-07-21	पत्रावली प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से एवं समझाईश द्वारा विड्राल [illegible] करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी [illegible] तरफ एड. श्री नेतराम सियाग [illegible] अतः प्रार्थना पत्र अन्तरिम [illegible] पेश पर जरिये विड्राल खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	[signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:34:34 IST
Reason: SelfAttested